Dated: 18/08/2017

ग्राम पंचायत संसाधन व्यक्ति (GPRP) और ग्राम संसाधन व्यक्ति (VRP) की नियुक्ति

हिमाचल प्रदेश सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा अस्थाई तौर पर ग्राम *पंचायत संसाधन व्यक्ति (GPRP) और ग्राम संसाधन व्यक्ति (VRP) की नियुक्ति* हेतू साधे कागज पर आवेदन पत्र् आमंत्रित किए जा रहें है। इच्छुक योग्य उम्मीदवार निर्धारित समय से पूर्व सभी संबंधित दस्तावेजों की छाया प्रतियों के साथ सम्बधिंत खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर सकता/सकती है। निर्धारित समय के बाद कोई भी आवेदन मान्य नही होगा तथा देरी के लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा और इसके लिए अलग से किसी भी प्रकार का बुलावा पत्र नही भेजा जाएगा। उम्मीदवार का साक्षातकार संबंधित खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में लिया जाएगा। पात्रता की शर्तें और विवरण निम्न प्रकार से हैः–

कसं	पद का नाम	पदों संख्या	पारिश्रमिक	आयु	योग्यता	कार्य अनुभव
1.	*ग्राम पंचायत संसाधन व्यक्ति (GPRP)*	201	500/– रू0 प्रतिदिन	21–45 वर्ष (1 मार्च 2017 तक)	उम्मीदवार बी0ए0 पास होना चाहिए तथा कंप्यूटर में एक वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए।	1. सामाजिक अधिकार आधारित मुद्दों पर कम से कम 2 साल काम करने का अनुभव और किसी सामाजिक संगठन से जुडा होना चाहिए। 2. मनरेगा में काम करने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। 3. जॉब कार्ड की प्रतिलिपि जिसमें कार्यो का विवरण हो, दस्तावेजों के साथ लगायें।
2.	*ग्राम संसाधन व्यक्ति (VRP)*	201	300/– रू0 प्रतिदिन	––उपरोक्त––	उम्मीदवार 12 वीं पास होना चाहिए तथा वह कंप्यूटर साक्षर होना चाहिए।	1. उम्मीदवार मनरेगा परिवार से सम्बन्धित होना चाहिए। 2. जॉब कार्ड की प्रतिलिपि जिसमें कार्यो का विवरण हो, दस्तावेजों के साथ लगायें।

➢ **आवेदन हेतू वांछनीय योग्यताएं**

1. केंद्र और राज्य सरकार के ग्रामीण विकास और, पंचायती राज से संबंधित एजेंसियों और सामाजिक संगठनों के विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी हों।
2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, की योजना, और दिशा निर्देशों का ज्ञान हो।
3. उम्मीदवार सम्बन्धित विकास खण्ड का स्थानीय निवासी हो।
4. कम्युटर डिप्लोमा किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान का होना चाहिए।

➢ **कार्यो/कर्तव्यों का विवरण :–**

- *ग्राम पंचायत संसाधन व्यक्ति (GPRP) और ग्राम संसाधन व्यक्ति (VRP)* के कार्यो का विवरण निम्नलिखित है :–
  1. अभियार्थी को अपने खर्चे पर संलग्न दस्तावेजों की मूल प्रतियां साक्षात्कार के समय सक्षम प्राधिकिरी को उपलब्ध करवानी होगी।
  2. ग्राम पंचायत संसाधन व्यक्ति (GPRP) और ग्राम संसाधन व्यक्ति (VRP) का व्यक्तिगत प्रगति रिर्पोट के बाद प्रत्येक छः माह के बाद मूल्याकंन होगा, सन्तोषजनक प्रगति रिर्पोट होने पर आगे की सेवाएं जारी रखी जाएगी।
  3. सामाजिक अंकेक्षण के मासिक कार्यक्रम/शेड्यूल में विकास खण्ड की भागीदारी सुनिश्चित करना।
  4. पंचायत स्तर पर सामाजिक अंकेक्षकों की पहचान और उनके प्रशिक्षण में सहायता करना।
  5. मनरेगा के मजदूरों को मनरेगा और सामाजिक अंकेक्षण के बारे में जागरूक करना।
  6. मनरेगा के मजदूरों तथा पंचायत के निवासियों को मनरेगा से सम्बन्धित सूचना देना और जागरूक करना।

7. पंचायत कार्यालय से सूचानाएं एकत्रित करना तथा परस्पर (Cross Checking) जॉच करना। सूचानाएं उपलब्ध कराने में देरी या कमी की रिपोर्ट करना।
8. ग्राम पंचायत में operational guidelines को सार्वजनिक दिवारों पर लगाना।
9. सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन की जिम्मेदारी।
10. सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के पूरा होने और जनसुनवाई के बाद अंतिम सोशल ऑडिट की रिपोर्ट सामाजिक अंकेक्षण इकाई व प्रशासन के समक्ष निर्णय के लिए प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी होगी।
11. गांव के सामाजिक लेखा परीक्षकों के साथ हर पखवाडे में अनुवर्ती मूल्यांकन बैठकें करना और कार्यक्रम अधिकारी के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करना।
12. कोई भी अन्य प्रशासनिक जिम्मेदारियां जो राज्य सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ या जिला सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ द्वारा दी गई हो, को करना।
13. लिखित परीक्षा / साक्षातकार के लिए यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता देय नही होगा ।

हस्ता०

निदेशक,
हि0.प्र0. राज्य सामाजिक अंकेक्षण इकाई,
शिमला–9